Ajmer

FORM NO III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अपील मय मंजूरी स्थगन नहीं होने से खारिज 28/11/2018

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

श्रीमती फिरोज बेगम, पुत्री श्री फकीरा शेख मुसलमान, नि० गगवाना, तह० व जिला अजमेर बनाम इमानुल हक पुत्री श्री गुलाम रसूल खां पठान मुसलमान, नि० गगवाना, तह० व जिला अजमेर वगै०

किस्म मुकदमा 225 राज० काश्त० अधि० नम्बर 354 सन् 2018 (अजमेर (गगवाना))

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00354 श्री अजीत सिंह राठौड़, एड०अधि० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.11.2018	यह अपील श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 02.11.2018, प्रकरण संख्या 51/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् यह प्रावधान दिये गये है कि जहॉ विवादित आराजीयात के संदर्भ में कोई वाद विचाराधीन है तो वाद को दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता हैं तो उपरोक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य है जिससे बेवजह अन्य कार्यवाही नहीं बढे। ऐसी स्थिति मे जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर ने जारी किया है वह न्याय की श्रेणी में नहीं आकर काबिल खारिज योग्य हैं। आर.बी.जे. 1994 पेज 24 पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ किसी प्रकरण को न्यायालय विचारणार्थ ग्रहण कर लेता है वहॉ पर यथास्थिति में जो आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में मात्र नोटिस जारी कने का कथन अंकित कर दिया जबकि अभिभाषक द्वारा पूर्ण रूप से बहस भी की गयी थी तथा भूमि जो कि प्रार्थीया की कब्जेकाश्त की भूमि है जिससे अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीया को बेदखल क़र निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं ऐसी स्थिति में यदि मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति नहीं रखी गयी तो वाद प्रस्तुत करने का सार ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में निहित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर	निरन्तर....

P.T.O.

अजमेर
354/2018/225 श्रीमति किशोर कंवर बनाम इनामुल हक वगै०

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00354 श्री अजीतसिंह राठौड़, एड० अपी० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
निरन्तर........	विवादित आराजी पर प्रार्थीय के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं आवेदन की प्रति व प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा दिनांक 02.11.2018 को प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। अपीलाधीन आदेश/अहकाम आदेश की परिभाषा में नही आने से अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवणायोग्य नहीं हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। **अतः अपील अपीलांट श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	